रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2287] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937
No. 2287] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2871(अ).–निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य जो अरावली पर्वतीय श्रेणी, विन्ध्या पर्वतीय श्रेणी और मालवा पठार के मिलन स्थान पर और राजस्थान राज्य के जिले चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र पर अवस्थित है और 24^0 23' पू0- $74^0$40' ´ पू0 देशांतर और 24°04' उ0 से 24°23´´ उ0 अक्षांश के बीच है और 422.94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 11(9) राजस्व/समूह-8/78 जयपुर, तारीख 2 जनवरी, 1979 द्वारा वर्ष 1979 में अभयारण्य के रुप में अधिसूचित किया गया था ।

और जहाँ, सीतामाता अभयारण्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा सागौन बांस मिश्रित वन के लिए और इसके साथ जुड़े प्रजातियों, वनस्पतियों और जीव के सबसे अमीर अभयारण्य में से एक है। यहाँ करीब सरीसृप के लगभग 50 प्रजातियां, उभयचर के 9 प्रजातियां, मछलियों की 30 प्रजातियां अभयारण्य की सूची में सूचीबद्ध है । सीतामाता अभयारण्य को औषधीय पौधों के लिए जाना जाता है जिनमें 108 औषधीय पौधों की प्रजातियां, 275 पक्षियों की प्रजातियां और 800 पौधों की प्रजातियों को पहले से ही पहचाना जा चुका है । राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी 32 संकटापन्न औषधीय पौधों की 13 प्रजातियां हैं।

और जहाँ, इस संरक्षित क्षेत्र कि सतह अपेक्षाकृत कम लहरदार है और तीन बारहमासी नदियां (जाखम, सीतामाता और करमोई) उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वृक्ष प्रजातियों को वास प्रदान करती है, जोकि अरावली रेड स्पूर फाउल, ग्रे जंगल फाउल, उड़ने वाली गिलहरी और तमाम अन्य जीव-जन्तु एवं वनस्पति प्रजाति के लिए सूक्ष्म वास बनाती है और यह तमाम प्रजातियों के लिए, जिनमें पश्चिमी घाट के तत्वों के अलावा हिमालय, इंडो-मलायन और अफ्रीकी क्षेत्रों से तमाम बाहर जाने वाली प्रजातियों के लिए विवरणात्मक सीमा बनाती है जो कि अद्वितीय है ;

vkSj] lhrkekrk oU;tho vHk;kj.; ds pkjksa vksj ds {ks= dks] ftldk foLrkj vkSj lhek,a bl vf/klwpuk ds iSjk 1 esa fofufnZV gSa] lk;kZoj.k dh n`f”V ls ikfjfLFkfrd laosnh tksu ds :lk esa lqjf{kr vkSj lajf{kr djuk rFkk mDr ikfjfLFkfrd laosnh tksu esa m|ksxksa ds oxksZa ds izpkyu rFkk izlaLdj.k djus dks izfrf”kn/k djuk vko’;d gS;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के रुप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 0.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 172.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है इस जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन राजस्थान जिले चित्तोड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर के अंतर्गत आने वाले 58 ग्रामों के आर-पार फैला हुआ है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची जो **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्रों के साथ अक्षांश और देशांतर तथा सीमा के जीपीएस निर्देशांक क्रमशः **उपाबंध III-क** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ बिन्दुओa के जीपीएस निर्देशांक के ब्यौरे तथा इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन **उपाबंध III-ख** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(5) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजाति क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(9) राजस्थान राज्य सरकार अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 11, 17, 23, 28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास-सुविधा;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योगों में ग्राम उद्योग, भंडारण की सुविधा और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन्न विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनी प्रदूषण के कोई नए उद्योग का स्थापन्न अनुज्ञात नहीं किए जाएंगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की

		घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । विद्यमान आरा मशीनों की लाइसेंस अवधि समाप्त होने के पश्चात उनके लाइसेंसो का नवीकरण नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे ; परंतु यह और भी विद्यमान आरा मशीनों के लाइसेंस का नवीकरण उनके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर नहीं किया जाएगा ।
(8)	मत्स्य ग्रहण ।	ओरई और सीतामाता बांध सहित सभी जल निकायों में मत्स्य ग्रहण पूर्णतया वर्जित होगा।
(9)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध ।
(10)	तेंदु पत्ता का क्रय ।	अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर के भीतर ठेकेदारों द्वारा तेंदु पत्ते के क्रय पर प्रतिषेध । वन विभाग द्वारा तेंदु पत्ते की यूनिट की नीलामी के समय पर किसी क्रय स्थान (फेड्स) को चिन्हित नहीं किया जाएगा ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(11)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे और उसकी सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में

		सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर आगे और इसके विस्तार तक सदभावी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे; (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।
(14)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(15)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) 11 केवी के पारेषण लाइनों और वितरण लाइनों को बिछाना । (ii) भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(24)	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	वायु और यानिय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

संवर्धित क्रियाकिलाप :		
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला और डेयरी उद्योग एक्वाकल्चर और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(28)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(29)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाए।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ - अध्यक्ष;

(ii) लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;

(iii) नगर योजना विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;

(iv) उद्योग विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;

(v) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;

(vi) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(vii) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;

(viii) माननीय वन्यजीव वार्डन – सदस्य;

(ix) सहायक वन संरक्षक, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य- सदस्य-सचिव,

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986

का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/52/2015-ईएसजेड-आरई]

डा**W**. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का ब्यौरा

पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र 0.5 किमी से 3 किमी सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के रूप में अलग-अलग क्षेत्र का निम्नलिखित अनुसार समावेश होगा:

उत्तर : अभयारण्य के क्षेत्र और गांव तजेला से बोरुनदी की दूरी 1 किलोमीटर है । धनावेजी रोड रतीचांदजी का खेड़ा से अभयारण्य सीमा के बीच का क्षेत्र ।

पूर्व : धनादेजी से संगरीखेरा, नरेला फाला, भूरा-जखाम नदी-जखाम नदी- सतीपिपली- रघुनाथपुरा- जखाम बांध का उप विलय क्षेत्र- सुरपुर, नलवा, राजमगरी, देपुर, गोलिया फाला, ग्यासपुर ।

दक्षिण : वन ब्लाक भेदा-गांव ग्यासपुर, वन ब्लाक चिकलाद (3 किमी क्षेत्र में प्रतापगढ़ क्षेत्रीय का विभाजन), भागा गांव, गमेती फाला, भुमनिया से करमाल, श्रीगुड़ा, साथुपर, चित्तोरिया (लंबी नहर की ओर).

पश्चिम : दबेला गांव से 3 किलोमीटर पश्चिम गांव की ओर बंसी सड़क पर धरियवाद गांव तक । (प्रतापगढ़ क्षेत्रीय विभाजन के वन क्षेत्र) और तनेजा गांव अभयारण्य सीमा से 1 किमी की दूरी पर है।

उपाबंध II

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची ।

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील
1.	तलाइपाल	धरियावाद	2.	नगलिया	धरियावाद
3.	साथपुर	धरियावाद	4.	छित्तोरिया	धरियावाद
5.	दास का गुड़ा	धरियावाद	6.	शिकारबरी पंचगुड़ा	धरियावाद
7.	पंचागुड़ा	धरियावाद	8.	आरामपुरा	धरियावाद
9.	मैदा	लसदिया	10.	धार	लसदिया
11.	तजेला	भादेसर	12.	नवाघर	भादेसर
13.	खोखरिया	भादेसर	14.	कालाखेत	लसदिया
15.	हरिपुरा	भादेसर	16.	श्यामपुरा	भादेसर
17.	लक्ष्मीपुरा	भादेसर	18.	मती मगरी	भादेसर

19.	संगरु का फलान	भादेसर	20.	वागो का फलान	भादेसर
21.	रुपराईल	भादेसर	22.	रेलना	भादेसर
23.	तिकरिया का खेरा	भादेसर	24.	संग्रामपुरा	भादेसर
25.	बोरिनदी	भादेसर	26.	गुंदालपुर	भादेसर
27.	भछेरी	छोटीसदरी	28.	कंकरा	छोटीसदरी
29.	करनपुर कलान	छोटीसदरी	30.	भोजपुर	छोटीसदरी
31.	धनावेजी	छोटीसदरी	32.	संमरीखेड़ा	छोटीसदरी
33.	नरेला फलान	छोटीसदरी	34.	भुरा	छोटीसदरी
35.	बोतीया	छोटीसदरी	36.	सरीपिपली	प्रतापगढ़
37.	रघुनाथपुरा	प्रतापगढ़	38.	थिकि मगरी	प्रतापगढ़
39.	सुरपुर	प्रतापगढ़	40.	नलवा	प्रतापगढ़
41.	राजमगरी	प्रतापगढ़	42.	देवपुर	प्रतापगढ़
43.	ग्यासपुर	प्रतापगढ़	44.	चंदना फलान	प्रतापगढ़
45.	सदरी फलान	प्रतापगढ़	46.	गोलिया फलान	प्रतापगढ़
47.	महुरीखेड़ा	धरियावाद	48.	भागा गांव	धरियावाद
49.	घमेती फलान	धरियावाद	50.	जेलदा	धरियावाद
51.	कुमार फलान	धरियावाद	52.	भागरोटी का फलान	धरियावाद
53.	नाला	धरियावाद	54.	रेनिया	धरियावाद
55.	भुमनिया	धरियावाद	56.	मांदकलान	धरियावाद
57.	करमाल	धरियावाद	58.	श्रीगुड़ा	धरियावाद

<u>उपाबंध</u> III क

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ अक्षांश और देशांतर और जीपीएस निर्देशांक सहित मानचित्र ।

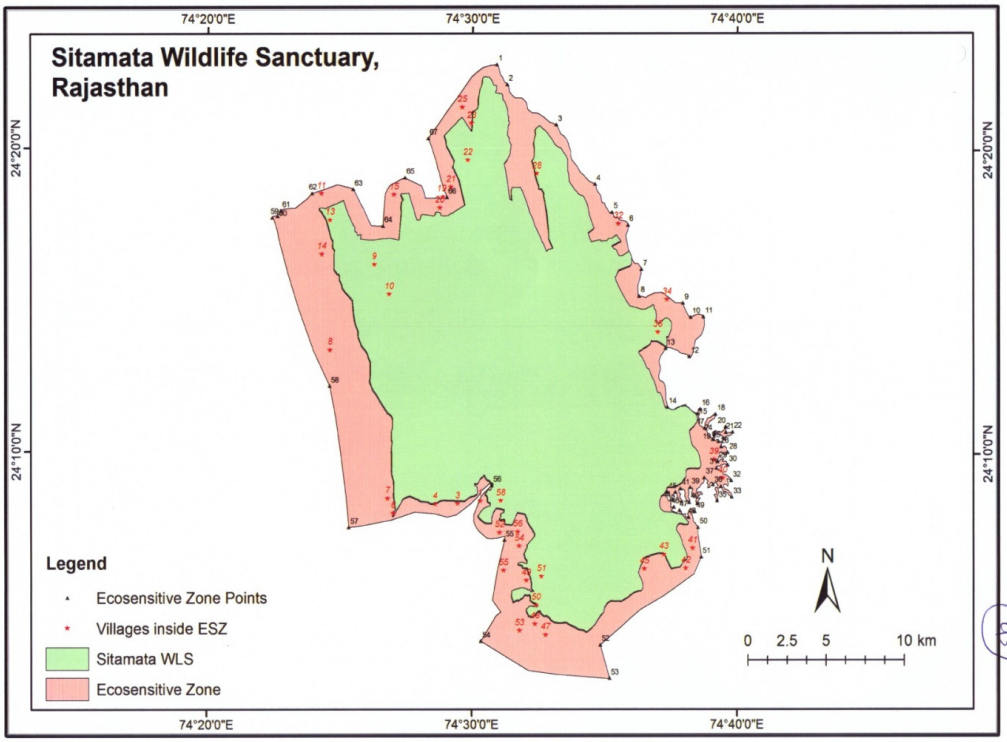
Sitamata Wildlife Sanctuary,
Rajasthan
74°20'0"E
74°30'0"E
74°40'0"E
24°20'0"N
24°10'0"N
Legend
Ecosensitive Zone Points
Villages inside ESZ
Sitamata WLS
Ecosensitive Zone
N
0 2.5 5 10 km

उपाबंध III**ख**

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ बिन्दुओं का जीपीएस निर्देशांक ।

सीतामाता पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु						
	अक्षांश			देशांतर		
बिन्दु सं.	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	24	22	49.01	74	30	54.19
2	24	22	9.73	74	31	17.68
3	24	20	50.18	74	33	8.91
4	24	18	52.71	74	34	36.64
5	24	17	57.72	74	35	15.28
6	24	17	32.53	74	35	51.22
7	24	16	5.11	74	36	22.16
8	24	15	12.23	74	36	16.94
9	24	14	58.16	74	37	56.55
10	24	14	30.75	74	38	14.06
11	24	14	31.46	74	38	42.70
12	24	13	12.73	74	38	10.89
13	24	13	28.76	74	37	16.84
14	24	11	32.87	74	37	21.21
15	24	11	20.28	74	38	29.97
16	24	11	29.23	74	38	35.58
17	24	10	51.89	74	38	46.06
18	24	11	19.26	74	39	10.25
19	24	10	29.43	74	39	4.11
20	24	10	54.35	74	39	33.25
21	24	10	43.54	74	39	33.60
22	24	10	44.40	74	39	49.09
23	24	10	30.96	74	39	29.08
24	24	10	40.07	74	39	7.74
25	24	10	25.70	74	39	16.87
26	24	10	14.97	74	39	22.98
28	24	10	3.37	74	39	37.99
29	24	9	45.93	74	39	15.31
30	24	9	38.87	74	39	37.74
31	24	9	32.83	74	39	12.21
32	24	9	7.99	74	39	46.08
33	24	8	35.33	74	39	47.57
34	24	8	56.48	74	39	22.42
35	24	8	27.86	74	39	14.11
36	24	8	59.91	74	39	4.49
37	24	9	13.67	74	38	45.11
38	24	8	23.29	74	38	29.50
39	24	8	54.27	74	38	13.09
40	24	8	24.89	74	38	10.93
41	24	8	52.04	74	37	51.01

42	24	8	25.79	74	37	54.29
43	24	8	44.79	74	37	39.95
44	24	8	29.97	74	37	34.17
45	24	8	44.92	74	37	21.77
46	24	8	15.35	74	37	36.77
47	24	8	9.33	74	37	49.15
48	24	9	55.46	74	38	9.61
49	24	8	6.83	74	38	23.66
50	24	7	35.24	74	38	31.30
51	24	6	36.87	74	38	38.44
52	24	3	42.99	74	34	50.32
53	24	2	36.78	74	35	11.26
54	24	3	49.23	74	30	20.30
55	24	7	9.13	74	31	13.05
56	24	8	56.89	74	30	43.96
57	24	7	33.05	74	25	20.89
58	24	12	12.50	74	24	36.34
59	24	17	44.69	74	22	25.84
60	24	17	47.91	74	22	37.88
61	24	17	58.63	74	22	45.26
62	24	18	33.16	74	23	55.67
63	24	18	41.28	74	25	28.71
64	24	17	29.04	74	26	36.34
65	24	19	4.74	74	27	26.57
66	24	18	25.94	74	29	1.22
67	24	20	22.46	74	28	18.56

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2015

S.O. 2871(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas the Sitamata Wildlife Sanctuary situated in the South-East region of the State of Rajasthan in Chittorgarh and Pratapgarh districts at the junction of the Aravalli Hill range, Vindhyan Hill range and the Malwa Plateau and lying between 74^0 23' E– $74^0$40' E longitude and 24^0 04' N to $24^0$23' N latitude and spread over an area of 422.94 sq.kms. was notified as a sanctuary in the year 1979 vide Government of Rajasthan notification No. F11(9) Revenue/ Group-8/78 Jaipur, dated 02 January, 1979. .

And Wheras, Sitamata forms the north -west limit for the teak-bamboo mixed forest and the species associated with it is one of the richest Sanctuary of flora and fauna. Nearly 50 species of reptiles, 9 species of Amphibians, 30 species of fishes listed so far from the sanctuary. Sitamata is known for medicinal plants, 108 species of medicinal plants, 275 species of birds and 800 species of plants already identified. 13 species of the 32 endangered medicinal plants issued by The National Medicinal Plant Board, New-Delhi.

And Whereas this protected area, with its comparatively less undulating terrain and three perennial (Jakham, Sitamata and Karmoi) rivers provide habitat for the tropical moist deciduous plant species, which form micro habitat for the Aravalli Red Spur Fowl, Grey Jungle Fowl, Flying Squirrel and several other species of flora and fauna and is unique as it forms the distribution limit for many of species that have moved from Himalayas, Indo-Malayan and African regions, in addition to the elements from Western Ghats.

And Whereas, it is necessary to regulate certain activities detrimental to the conservation of flora and fauna in the Sitamata Wildlife Sanctuary from environmental point of view, by declaring the Eco sensitive zone around it.

Now Therefore, in exercise of the powers conferred in sub-section (1) read with clause (V) and clause (xiv) of sub-section (2) Section 3 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extant of 0.5 to 3 kms. around the boundary of the Sitamata Wildlife Sanctuary as Sitamata Wildlife Sanctuary Eco- sensitive Zone (herein after called "**the Eco sensitive Zone")** details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area 172.45 sq kms. around the boundary of Sitamata Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 58 villages falling in Chittorgarh, Pratapgarh and Udaipur districts of Rajasthan.

(3) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

(4) The maps of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes and GPS coordinates of boundary are appended as **Annexure III-A and III-B** respectively.

(5) The details of GPS coordinates of the points along the boundary of the Sitamata Wilidlife Sanctuary and its eco-sensitive zone are appended as **Annexure-III C.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(ix) Rajasthan State Pollution Control Board;

(x) Irrigation; and

(xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The State Government of Rajasthan shall prepare Zonal Master Plan for area under its jurisdiction.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17,23,28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourists activity;

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs and water courses-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sitamata Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units:-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the Law;

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. No renewal of licenses of existing saw mills on their expiry period.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
8.	Fishing.	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies including Orai and Sitamata dam.
9.	Use of Plastic carry bags.	Prohibited with immediate effect.
10.	Purchase of Tendu Patta.	Prohibition on purchase of tendu Patta by contractors within 100 meters from the boundary of the sanctuary. No purchasing places (Fads) shall be earmarked at the time of auction of Tendu Patta units by the Forest Department.
Regulated Activities		
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of National Tiger Conservation Authority.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the

		activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3; (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any; (c) Beyond one kilometre upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) laying of transmission lines and distribution lines of 11 KV; (ii) Promote underground cabling .
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.

5. Monitoring Committee.-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Rajasthan , which shall comprise of the following, namely:-

(i)	District collector, Pratapgarh	- Chairman;
(ii)	District level officer of Public Works Department	- Members;
(iii)	District level officer of Town Planning Department	- Members;
(iv)	District level officer of Industries Department	- Members;
(v)	Regional officer, Rajasthan State Pollution Control Board	- Member;
(vi)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of one year in case	-Member;
(vii)	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of one year in case	-Member;
(viii)	Honorary wildlife warden	- Member;
(ix)	Assistant Conservator of Forests, Sitamata Wildlife Sanctuary	- Member-Secretary

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collectors or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or The National Green Tribunal .

[F. No.25/52/2015-ESZ-RE]

DR. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DETAILS OF SITAMATA WILDLIFE SANCTUARY

Eco-sensitive zone would comprise of the area to an extant varying from 0.5 km. to 3 km. from the boundary of Sitamata Wildlife Sanctuary as follows:

North: Area between the sanctuary and upto 1 km. of village Tajela to Borundi. Area between sanctuary boundary from Ratichandji ka khera to Dhanaveji road.

East: Dhanaveji to Sangrikhera, Narela Phala, Bhura-Jakham river- Jakham river- Saripipli-Raghunathpura- Sub merged area of Jakham dam- Surpur, Nalwa, Rajmagri, Depur, Goliya Phala, Gyaspur.

South: Village Gyaspur-forest block Bheda, forest block Chiklad (Pratapgarh territorial division up to 3 km.), Bhaga-gaon, Gameti Phala, Bhumania,to Karmal, Shriguda, Sathpur, Chittoriaa (long Canal side).

West: Dhariyawad Bansi road towards west village Panchaguda to village Dabela 3 kms. (forest area of Pratatpgarh territorial division) and village Tajela 1 km. from sanctuary boundary.

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF SITAMATA WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Name of the village	Tehsil	S. No.	Name of the village	Tehsil
1.	Talaipal	Dhariawad	2.	Nagliya	Dhariawad
3.	Sathpur	Dhariawad	4.	Chittoria	Dhariawad
5.	Das ka guda	Dhariawad	6.	Shikarbari Panchaguda	Dhariawad
7.	Panchaguda	Dhariawad	8.	Aarampura	Dhariawad
9.	Maida	Lasadia	10.	Dhar	Lasadia
11.	Tajela	Bhadesar	12.	Nawaghar	Bhadesar
13.	Khokhria	Bhadesar	14.	Kalakhet	Lasadia
15.	Haripura	Bhadesar	16.	Shyampura	Bhadesar
17.	Laxmipura	Bhadesar	18.	Mati magri	Bhadesar
19.	Sangro ka falan	Bhadesar	20.	Wago ka falan	Bhadesar
21.	Ruparail	Bhadesar	22.	Relna	Bhadesar
23.	Tikriya ka khera	Bhadesar	24.	Sangrampura	Bhadesar
25.	Borundi	Bhadesar	26.	Gundalpur	Bhadesar
27.	Bhacheri	Chotisadri	28.	Kankra	Chotisadri
29.	Karanpur Kalan	Chotisadri	30.	Bhojpur	Chotisadri
31.	Dhanaveji	Chotisadri	32.	Sangrikheda	Chotisadri
33.	Narela falan	Chotisadri	34.	Bhura	Chotisadri
35.	Botiya	Chotisadri	36.	Saripipli	Pratapgarh
37.	Ragunathpura	Pratapgarh	38.	Thiki magri	Pratapgarh
39.	Surpur	Pratapgarh	40.	Nalwa	Pratapgarh
41.	Rajmagri	Pratapgarh	42.	Devpur	Pratapgarh
43.	Gyaspur	Pratapgarh	44.	Chandna falan	Pratapgarh
45.	Sadri falan	Pratapgarh	46.	Goliya falan	Pratapgarh
47.	Mahurikheda	Dhariawad	48.	Bhaga gao	Dhariawad
49.	Ghameti falan	Dhariawad	50.	Jelda	Dhariawad
51.	Kumar falan	Dhariawad	52.	Bhagroti ka falan	Dhariawad
53.	*Nala*	Dhariawad	54.	Reniya	Dhariawad
55.	Bhumniya	Dhariawad	56.	Mandkalan	Dhariawad
57.	Karmal	Dhariawad	58.	Shriguda	Dhariawad

ANNEXURE-III A

Map of Eco-Sensitive Zone of Sitamata Wildlife Sanctuary with latitudes and longitudes and GPS coordinates along the boundary

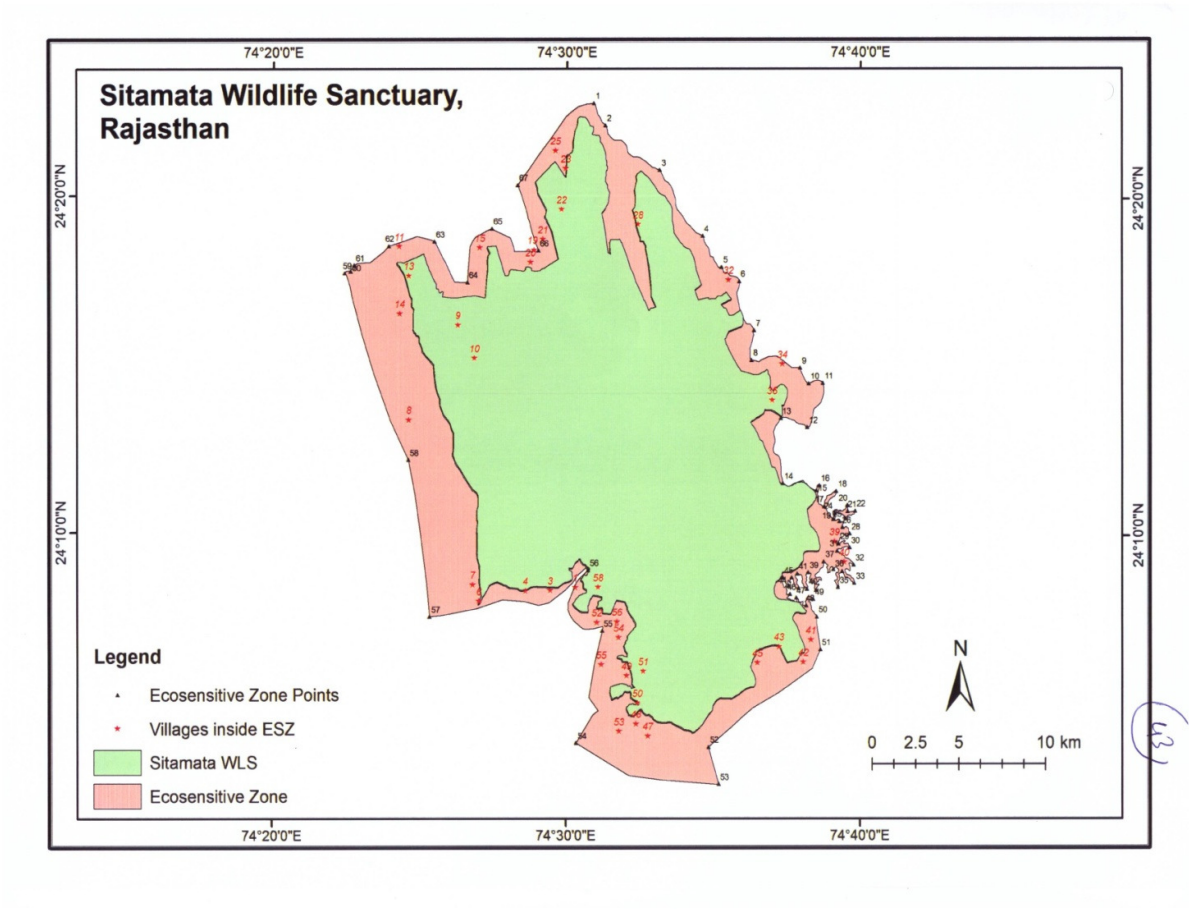

ANNEXURE-III B

GPS COORDINATES OF POINTS ALONG THE BOUNDARY OF THE ECO SENSITIVE ZONE OF SITAMATA WILDLIFE SANCTUARY

Sitamata Eco-sensitive Zone points						
	Latitude			Longitude		
Point No.	Degree	Min	Second	Degree	Min	Second
1	24	22	49.01	74	30	54.19
2	24	22	9.73	74	31	17.68
3	24	20	50.18	74	33	8.91
4	24	18	52.71	74	34	36.64
5	24	17	57.72	74	35	15.28
6	24	17	32.53	74	35	51.22
7	24	16	5.11	74	36	22.16
8	24	15	12.23	74	36	16.94
9	24	14	58.16	74	37	56.55
10	24	14	30.75	74	38	14.06
11	24	14	31.46	74	38	42.70
12	24	13	12.73	74	38	10.89
13	24	13	28.76	74	37	16.84
14	24	11	32.87	74	37	21.21

15	24	11	20.28	74	38	29.97
16	24	11	29.23	74	38	35.58
17	24	10	51.89	74	38	46.06
18	24	11	19.26	74	39	10.25
19	24	10	29.43	74	39	4.11
20	24	10	54.35	74	39	33.25
21	24	10	43.54	74	39	33.60
22	24	10	44.40	74	39	49.09
23	24	10	30.96	74	39	29.08
24	24	10	40.07	74	39	7.74
25	24	10	25.70	74	39	16.87
26	24	10	14.97	74	39	22.98
28	24	10	3.37	74	39	37.99
29	24	9	45.93	74	39	15.31
30	24	9	38.87	74	39	37.74
31	24	9	32.83	74	39	12.21
32	24	9	7.99	74	39	46.08
33	24	8	35.33	74	39	47.57
34	24	8	56.48	74	39	22.42
35	24	8	27.86	74	39	14.11
36	24	8	59.91	74	39	4.49
37	24	9	13.67	74	38	45.11
38	24	8	23.29	74	38	29.50
39	24	8	54.27	74	38	13.09
40	24	8	24.89	74	38	10.93
41	24	8	52.04	74	37	51.01
42	24	8	25.79	74	37	54.29
43	24	8	44.79	74	37	39.95
44	24	8	29.97	74	37	34.17
45	24	8	44.92	74	37	21.77
46	24	8	15.35	74	37	36.77
47	24	8	9.33	74	37	49.15
48	24	9	55.46	74	38	9.61
49	24	8	6.83	74	38	23.66
50	24	7	35.24	74	38	31.30
51	24	6	36.87	74	38	38.44
52	24	3	42.99	74	34	50.32
53	24	2	36.78	74	35	11.26
54	24	3	49.23	74	30	20.30
55	24	7	9.13	74	31	13.05
56	24	8	56.89	74	30	43.96
57	24	7	33.05	74	25	20.89
58	24	12	12.50	74	24	36.34
59	24	17	44.69	74	22	25.84
60	24	17	47.91	74	22	37.88
61	24	17	58.63	74	22	45.26
62	24	18	33.16	74	23	55.67
63	24	18	41.28	74	25	28.71
64	24	17	29.04	74	26	36.34

65	24	19	4.74	74	27	26.57
66	24	18	25.94	74	29	1.22
67	24	20	22.46	74	28	18.56

Annexure-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 .

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.